बिहार सरकार
परिवहन विभाग

संचिका सं0–05/स्था0 (वाहन)–10–3/2026 /पटना, दिनांकः–

–:: आदेश ::–

परिवहन विभाग के पत्रांक–6325, दिनांक–09.08.2019, पत्रांक–3252, दिनांक–29.04.2026 तथा पत्रांक–7171, दिनांक–28.08.2026 द्वारा कतिपय क्षेत्रीय पदाधिकारियों को भाड़े पर वाहन लिये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत है।

2. परिवहन विभाग के अनुरोध पर वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा दी गयी सहमति के आलोक में मोटरवाहन अधिनियम, 1988, मोटरवाहन नियमावली, 1989, बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992, बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम–1994 एवं बिहार मोटरवाहन करारोपण नियमावली, 1994 में विहित कर्त्तव्यों को पूरा करने तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राजस्व संग्रहण के लक्ष्य को शत–प्रतिशत प्राप्ति के उद्देश्य से राजस्व संग्रहण कार्य में लगे क्षेत्रीय पदाधिकारी यथा–संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/जिला परिवहन पदाधिकारी/अपर जिला परिवहन पदाधिकारी एवं समकक्ष/प्रवर्त्तन पदाधिकारी/प्रवर्त्तन निरीक्षक/प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक/मोटरयान निरीक्षक को निम्नांकित शर्तों के अधीन भाड़े पर वाहन लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती हैः–

(i) शमन कार्य हेतु प्रमंडल/जिला स्तर पर निर्धारित दर की सीमा के अंतर्गत भाड़े पर वाहन रखने की अनुमति दी जाती है।

(ii) इस हेतु सिर्फ गैर–वातानुकूलित वाहन निर्धारित दर की सीमा के अंतर्गत भाड़े पर लेना अनुमान्य होगा।

(iii) वाहन के भाड़ा की दर संबंधित प्रमंडल/जिला स्तर पर निर्धारित अन्य शर्तें (यथा–ईंधन सहित/ईंधन रहित) लागू होंगे।

(iv) भाड़े पर लिये गये वाहनों का व्यवसायिक निबंधन एवं परमिट अनिवार्य होगा।

(v) संबंधित पदाधिकारी द्वारा भाड़े पर लिये गये वाहन का लॉग–बुक का संधारण करना उनकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

3. पूर्व में निर्गत विभागीय पत्रांक–6325, दिनांक–09.08.2019, पत्रांक–3252, दिनांक–29.04.2026 तथा विभागीय पत्रांक–7171, दिनांक–28.08.2026 इस आदेश की निर्गमन की तिथि से रद्द किया जाता है।

ह0/–
(प्रमोद कुमार)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः–**05/स्था0 (वाहन)–10–3/2026** 6760 पटना, दिनांकः–14-10-26

प्रतिलिपिः–सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी अपर जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी करारोपण पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्त्तन निरीक्षक/सभी प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/10/26
सरकार के उप सचिव।